

कार्यालय ,नगर पालिक निगम, भिलाई

क्रमांक/शि.क.भर्ती/न.पा.नि./2018/586

भिलाई, दिनांक 28/2/2018

//आदेश//

छ.ग. शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के आदेश क्र./9100/8069/2017/18 नया रायपुर दिनांक 07.12.2017 द्वारा जारी आदेश के परिपालन में नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्रान्तर्गत हाई स्कूल ,हायर सेकण्डरी के शिक्षाकर्मी -वर्ग 01 की पूर्ति हेतु महापौर परिषद की बैठक दिनांक 29.12.17 के प्रस्ताव क्रं.01 में पारित संकल्प अनुसार निम्नलिखित आवेदक को निम्नांकित शर्तों के अधीन व्याख्याता (नगरीय निकाय) के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षावधि पर वेतनमान 5300-150-8300 एवं उस पर शासन द्वारा समय समय पर देय मंहगाई भत्ते पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त तक नियुक्त करते हुए उनके नाम के समक्ष कॉलम न. 05 में दर्शित शाला में पदांकित किया जाता है।

क्रं.	चयनित अभ्यर्थियों के नाम पिता/पति का नाम	आरक्षण	विषय	पदांकित शाला/ विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5
01	दीपचंद/मीना बाई	ST OPEN	भौतिक	शा.कन्या उ.मा.विद्यालय वैशाली नगर

टीप:- आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

उपरोक्त नियुक्ति आदेश निम्नांकित शर्तों के अधीन होंगे।

शर्त:-

- नियुक्त व्याख्याता को आदेश प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर नियुक्ति आदेश स्वयंमेव निरस्त माना जावेगा।
- उपरोक्त अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन भरे गए आवेदन के आधार पर सत्यापन में उपस्थित समस्त अभ्यर्थियों का दावा आपत्ति के बाद पात्र सूची के मेरिट क्रम में वरीयता सूची तैयार कर नियुक्ति की गई है। अतः भविष्य में चयन सूची में किसी प्रकार का संशोधन होता है, तो प्रभावित चयनित अभ्यर्थी का उक्त आदेश स्वयंमेव निरस्त माना जावेगा।
- यह नियुक्ति स्कूल विशेष में दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर होगी, जिसे पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
- नियुक्त व्याख्याता (नगरीय निकाय) की सेवा की शर्त छ.ग. शिक्षक (नगरीय निकाय) संवर्ग (भर्ती तथा,सेवा की शर्त) नियम 2013 में निहित प्रावधानों के अनुरूप होगी।
- छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती नियम 2013 के टीप -2 -क के अनुसार नियुक्त नॉन बी.एड. व्याख्याता नगरीय निकाय को नियुक्ति की तारीख से 3 वर्ष के भीतर बी.एड. पाठ्यक्रम में उपाधि प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- नियुक्त व्याख्याता (नगरीय निकाय) नगर पालिक निगम भिलाई के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन होंगे।
- नियुक्त व्याख्याता (नगरीय निकाय) संवर्ग के कर्मचारी की सेवाएँ या तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अथवा कर्मचारी द्वारा नियुक्त प्राधिकारी को लिखित में एक माह की सूचना देकर या कर्मचारी द्वारा एक माह के वेतन का भुगतान करने पर, किसी भी समय समाप्त की जा सकेगी।

क्रमश.....

पृ. क्रं./शि.क.भर्ती/न.पा.नि./2018 / 587
प्रतिलिपि :-

भिलाई, दिनांक 28/2/2018

1. निज सहायक माननीय मंत्री जी, छ.ग. शासन एवं नगरीय प्रशासन विभाग, नया मंत्रालय रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, नया मंत्रालय रायपुर को सादर सूचनार्थ।
3. सचिव, छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग नया मंत्रालय रायपुर को सादर सूचनार्थ।
4. संचालक, छ.ग. शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग रायपुर को सादर सूचनार्थ।
5. संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग को सादर सूचनार्थ।
6. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर को सादर सूचनार्थ।
7. कलेक्टर महोदय जिला दुर्ग को सादर सूचनार्थ।
8. महापौर नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
9. जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग को सूचनार्थ।
10. प्रभारी शिक्षा अधिकारी एवं संबंधित लिपिक नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
11. प्राचार्य शा.उ.मा.विद्यालय,.....की ओर सूचनार्थ एवं नियुक्त अभ्यर्थी के द्वारा पदभार ग्रहण करने की प्रति नगर पालिक निगम भिलाई के शिक्षा विभाग में भेजे।
12. प्रभारी डाटा सेंटर नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ एवं निगम की वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
13. श्री/श्रीमती/कुमारीको सूचनार्थ।

dlc

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई